भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2718

(04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

आंध्र प्रदेश में पीएमएवाई-जी से परिवारों का अपवर्जन

2718. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में संशोधित पात्रता मानदंडों के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) से वंचित रह गए पात्र ग्रामीण परिवारों की संख्या का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उन मामलों की जांच की है जहां आंध्र प्रदेश में भूमिहीन पात्र लाभार्थियों को मकान स्वीकृत किए गए थे, लेकिन भूमि की अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में निर्मित पीएमएवाई-जी मकानों की गुणवत्ता, मजबूती और अधिभोग का मूल्यांकन करने के लिए कोई स्वतंत्र संपरीक्षा कराई है और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और कमियों पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या सरकार उन पीएमएवाई-जी लाभार्थियों का आंकड़ा रखती है जो आजीविका के अवसरों की कमी के कारण मकान मिलने के बाद पलायन कर गए हैं, जिससे स्थायी ग्रामीण आवास का उद्देश्य प्रभावित हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क): पीएमएवाई-जी के तहत, पात्र लाभार्थियों के समूह में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 और आवास + 2018 सर्वेक्षण डेटा के अनुसार शून्य, एक या दो कमरों में कच्ची दीवार और कच्ची छत (कच्चे घर) में रहने वाले परिवार और सभी बेघर परिवार शामिल हैं। लाभार्थियों की पहचान एसईसीसी 2011 के तहत निर्धारित आवास वंचन

मानकों और बहिर्वेशन मानदंडों के आधार पर की जाती है। ये मापदंड/मानदंड एसईसीसी 2011 और आवास + 2018 सर्वेक्षण डेटाबेस दोनों पर लागू किए जाते हैं और फिर ग्राम सभा द्वारा उचित सत्यापन किया जाता है और तत्पश्चात अपीली प्रक्रिया के अध्यधीन पात्र लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार की जाती है। इसके अलावा, भारत सरकार ने योजना के तहत संशोधित बहिर्वेशन मानदंडों का उपयोग करके अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान करने के लिए आवास + सूची को अद्यतन करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। भारत सरकार के निर्णय के अनुरूप, सर्वेक्षण करने के लिए आवास + 2024 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र लाभार्थी न छूटे, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवास + 2024 मोबाइल ऐप में स्व-सर्वेक्षण विकल्प भी शामिल किया है।

(ख): भूमिहीन पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को आवास बनाने के लिए भूमि प्रदान करने में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में सबसे योग्य लाभार्थियों में से है। ऐसे लाभार्थी को भूमि प्रदान की जाए, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य के पास निहित है। राज्य भूमि के सरकारी समूह से या किसी अन्य भूमि से भूमि प्रदान कर सकता है, जिसमें सार्वजनिक भूमि (पंचायत सामान्य भूमि, सामुदायिक भूमि या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों की भूमि) शामिल है।

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आवास + 2024 सर्वेक्षण के दौरान कुछ भूमिहीन लाभार्थियों की पहचान की गई है। एक बार आवास + 2024 सर्वेक्षण के आधार पर स्थायी प्रतीक्षा सूची को अंतिम रूप दे दिया जाता है और आवाससॉफ्ट पर इसे अपलोड कर दिया जाता है, तो प्रणाली अनुमोदित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लाभार्थियों को प्राथमिकता प्रदान करेगा।

(ग): पीएमएवाई-जी के तहत, आवास का निर्माण लाभार्थी द्वारा स्वयं या उसके पर्यवेक्षण में किया जाता है। इसके अलावा, पीएमएवाई-जी के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लाभार्थियों को उनके निवास के क्षेत्र के लिए उपयुक्त स्थानीय सामग्री और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के अनुसार घर के डिजाइन के विकल्पों का एक समूह प्रदान करते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार प्रतिस्पर्धी दरों पर निर्माण सामग्री की आपूर्ति की सुविधा भी प्रदान कर सकती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण आवास प्रकारों का एक संकलन "पहल" भी प्रकाशित किया है जो पीएमएवाई-जी की कार्यक्रम वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसे आवासऐप के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-जी के तहत अच्छी गुणवत्ता वाले आवासों का निर्माण हो, यह सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए पर्याप्त संख्या में राजमिस्त्री को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी) कार्यक्रम शुरू किया है।

(घ): ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास उन पीएमएवाई-जी लाभार्थियों का डेटा उपलब्ध नहीं है जो आजीविका के अवसरों की कमी के कारण आवास प्राप्त करने के बाद पलायन कर गए हैं। हालांकि आईआईएम, अहमदाबाद द्वारा पीएमएवाई-जी के मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के बीच पलायन की घटना में लगभग 6% की कमी आई है। पलायन के कारण के रूप में "आवास की कमी" का हवाला देने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात 36% से घटकर 18% हो गया है, और मौसमी विस्थापन 13.8% से घटकर 4.2% हो गया है।
